



पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

वोकल फॉर लोकल से स्थानीय उत्पादों को मिल रही पहचान



नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री



उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् से बांस एवं हिमालयन नेटल के उत्पाद!

हिमालयन नेटल तथा बांस से बने लैम्पशेड

बांस तथा नेटल अण्डाकार लैम्पस उत्तराखण्ड राज्य जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के तलहटी पर स्थित है के पारम्परिक हस्तशिल्पियों द्वारा तैयार किये गये हैं। लैम्पस हिमालयन नेटल के कपड़े से तैयार किये गये हैं जो प्राकृतिक रूप से उत्तराखण्ड में पाया जाता है। ये लैम्पस प्रकृति की गर्माहट के साथ रोशनी फैलाने में उत्कृष्ट हैं और किसी भी इनडोर स्थान को साँपट लुक देते हैं।

बांस की बोतल

हम बांस से पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ जीवन शैली के उत्पादों को तैयार कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में बांस के आवरण का उपयोग करते हुए सुन्दर एवं उच्च गुणवत्ता के स्टेनलेस स्टील जो विद्युत रोधित है, को शुभारम्भ किया जा रहा है।



हिमालयन बिच्छू घास से बना इको-टेक्सटाइल (*Girardinia diversifolia*) उत्तराखण्ड हिमालय

हिमालयन नेटल एक बहुवर्षीय पौधा है जो हिमालय के शीतोष्ण तथा उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्रतल से 1200 से 2900 मीटर पर पाया जाता है। यह चौड़े पत्ते का पौधा अधिकतर उत्तराखण्ड के जंगलों तथा रिहायसी क्षेत्रों जहां नमी होती है में पाया जाता है। हिमालयन नेटल से तैयार किये जा रहे वस्त्र कोई नया विचार नहीं है। इससे बने वस्त्रों का उपयोग स्थानीय लोग हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। लेकिन हिमालयन नेटल ने अपनी प्रसिद्धि तब से खोई है, जबसे बाजार में सिंथेटिक तथा अन्य रेशा बाजार में आया। हिमालयन नेटल की सम्भावनाओं को देखते हुए उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक रेशा के जरिए पहाड़ी लोगों विशेषतः भोटिया समुदाय के आजीविका में सुधार लाया जा रहा है, जो मुख्यतः हिमालयन नेटल के उत्पादों को तैयार कर रहे हैं। हिमालयन नेटल से तैयार किये गये वस्त्र अपने विशिष्ट गुणों के कारण अन्य रेशों से अलग हैं।

इसके रेशे गर्म और ठंडे दोनों तरह के तापीय गुणों वाले कपड़े बनाने में उपयोगी हैं।

इन रेशों से रोगानुरोधी, जीवाणुरोधी और अग्निरोधी कपड़े बनाये जाते हैं।

झुर्रियों को कम करने के लिए प्रतिरोध के रूप में उपयोगी


बिच्छू घास उत्पादों का उपयोग करके, आप गुणवत्ता युक्त उत्पादों को तो अपनाते ही हैं, साथ ही आप एक समग्र मिशन में भी भाग लेकर पर्यावरण का समर्थन करने वाले कारीगर को सशक्त बनाते हैं, जो कि टिकाऊ इको-फैब्रिक्स और पृथ्वी की जैव-विविधता को बढ़ाया देता है। साथ ही ग्रामीण इलाकों के हजारों सीमांत कारीगरों और आदिवासी समुदायों की सहायता भी करते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्

न्यू फॉरेस्ट कॉलोनी, इंदिरा नगर, देहरादून-248006, उत्तराखण्ड | फोन और फैक्स: +91 135 3501947, ईमेल: uabamboo@gmail.com, वेबसाइट: www.ubfdb.org.in

दून का बेहतरीन रेशम



दून सिल्क उत्तराखण्ड कोऑपरेटिव सिल्क फेडरेशन (UCRF) का एक ब्रांड है, जो उत्तराखण्ड की

पारंपरिक रेशम बुनाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रहा है। 'दून सिल्क ब्रांड' रेशम, ऊन, कपास जैसे प्राकृतिक रेशों का उपयोग करके हथकरघा के माध्यम से उत्पाद बनाने को अत्यधिक महत्व दे रहा है। बिछुआ और भांग, हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।

दून सिल्क के माध्यम से उत्तराखण्ड के 6000 से अधिक किसानों, रीलर्स, बुनकरों, कारीगरों और रंगरेजों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इन उत्पादों का निर्यात यूरोपीय और अमेरिकी देशों के बाजारों में किया जा रहा है। इन उत्पादों के लिए यहां से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। ये उत्पाद ग्राहकों को 100% शुद्धता की गारंटी देते हैं

और साथ ही ये उत्पाद अविश्वसनीय कीमतों पर उपलब्ध हैं। देश के बाजारों में प्रमुख रूप से रेशम की साड़ियाँ, कोट, स्टोल और प्राकृतिक रेशों से बने शॉल की भारी मांग है। साथ ही, विदेशों में भी इन उत्पादों की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है।



पौष्टिक अनाज



सूक्ष्म पोष्टिक अनाज प्राचीन समय से उत्तराखण्ड के प्रमुख अनाज घटक रहे हैं। इन अनाजों की उच्च पोषिकता अब दुनिया भर में प्रकाश में आ रही है। सूक्ष्म पोष्टिक अनाज में शुष्क पथरीली भूमि में उगने की जबरदस्त क्षमता होती है और इसमें उच्च मात्रा में पुआल भी होता है, जो स्थानीय पशुधन के लिए फायदेमंद है।

रागी का प्रयोग आटे के रूप में किया जाता है। आटा गूंथते समय कुछ मात्रा में गेहूँ भी मिलाया जाता है और चपाती के रूप में खाया जाता है। इसे आमतौर पर सर्दियों में खाया जाता है। अब इसका उपयोग ब्रेकरी उत्पाद, शिशु आहार और अन्य ब्रेड डेरिवेटिव बनाने के लिए किया जा रहा है।

रागी



स्थानीय नाम : मंडुआ
वानस्पतिक नाम: एलुसिन कोरकाना
पोषण घटक: पानी 13.1 ग्राम, प्रोटीन 7.3 ग्राम, वसा 1.3 ग्राम, कैल्शियम 344 मिलीग्राम, कार्बोहाइड्रेट 72.0 ग्राम, विटामिन ए, विटामिन बी, कैलोरी 328, आयरन 6.4 मिलीग्राम।



पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड

राज्य में निवेशकों के लिए बेहतर
आयाम तैयार कर रही प्रदेश सरकार

पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा कदम बढ़ाते हुए उत्तराखण्ड सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि राज्य में प्लास्टिक के एक बार उपयोग के लिए कुछ नियम भी हैं।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन:

नीतियों से स्थायी समाधान की ओर बढ़े

सिंगल यूज प्लास्टिक, चाहे वह किसी भी आकार का हो, मोटाई, माप और रंग के प्लास्टिक कैरी बैग (हैंडल के साथ या बिना) और पॉलीप्रोपाइलीन, थर्मोकोल (पॉलीस्टाइरीन), पॉलीयुरेथेन, स्टायरोफोन और इसी तरह के गैर-बुने हुए पॉली सिंगल यूज बैग; डिस्पोजेबल कटलरी या प्लास्टिक, जैसे प्लेट ट्रे, कटोरे, कप, गिलास, चम्मच, कांटे, स्ट्रॉ, चाकू, स्टिचर, आदि के उत्पादन, खरीद, बिक्री, आयात, भंडारण, उपयोग और आपूर्ति राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। इतना ही नहीं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्र सरकार ने अपनी 12 अगस्त, 2021 की अधिसूचना में कहा है कि, 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टाइलिन के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।

सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग, भण्डारण, विनिर्माण, क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लग जाने के बाद राज्य में इन उत्पादों के निर्माण से जुड़ी उत्पादन इकाइयों के कार्य पर बन्द हो गए हैं और यहां पर काम कर रहे लोगों के रोजगार भी पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। प्लास्टिक से जुड़े अपशिष्ट प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से और नवाचार व उद्योगिता के स्वतंत्र करने और एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्प के रूप में वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई नीति-2015 (समय-समय पर संशोधित) में वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। इस नीति को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है।

निवेश प्रोत्साहन को सहायता

वैकल्पिक उत्पाद विनिर्माण नीति में वित्तीय प्रोत्साहन उन उद्योगों को मिलेगा, जो सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण बंद हुई है या प्रभावित हुई है। ऐसे उद्योगों को नया कारोबार शुरू करने के लिए अचल पूंजी निवेश पर 10 लाख रुपये टॉपअप निवेश प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।

व्याज अनुदान या इंटरेस्ट सब्सिडी

वित्तीय संस्थान से लिए टर्म लोन या बैंक से लिये गये सावधि ऋण पर देय 01 लाख रुपये/वार्षिक/प्रति ईकाई और 02 लाख रुपये/वर्ष/प्रति ईकाई तक की अतिरिक्त व्याज प्रतिपूर्ति सहायता सुनिश्चित की गई है।

एसजीएसटी की सब्सिडी

इस नीति से कई इकाइयां प्रभावित हुई हैं। उनके वैकल्पिक उत्पाद के विनिर्माण की दिशा में चल रहे उद्योगों के विविधरण या नये उद्यम की स्थापना के लिए नए प्लांट और मशीनरी की खरीद पर लगने वाली जीएसटी से राज्य सरकार को जो लाभ प्राप्त होता है, उस पर 20 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त सभी सुविधाओं का लाभ केवल उन्हीं इकाइयों को मिलेगा जो केंद्र/राज्य सरकार के प्रतिबंध आदेश के कारण प्रभावित या बंद हो गई हैं।

मेगा औद्योगिक नीतियों से उत्तराखण्ड के विकास को मिल रही गति

राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमियों और उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ऐसा करके राज्य सरकार उत्तराखण्ड में उद्योगों की स्थापना पर जोर दे रही है

इस निवेश नीति के तहत परियोजनाओं को चार श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें 7 प्रतिशत व्याज सब्सिडी और 50 प्रतिशत की एसजीएसटी रियायतें प्रदान की जा रही हैं। राज्य सरकार ने 30 प्रतिशत रियायत वाली बड़ी परियोजनाओं को इस श्रेणी में शामिल नहीं किया है। यह चार श्रेणियां हैं:

- 50 करोड़ रुपये से 75 करोड़ रुपये के निवेश वाली बड़ी परियोजनाएं
- 75 से 200 करोड़ रुपये के निवेश वाली मेगा परियोजनाएं
- 200 से 400 करोड़ रुपये के निवेश वाली अल्ट्रा मेगा परियोजनाएं
- 400 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली सुपर अल्ट्रा मेगा परियोजनाएं उत्तराखण्ड सरकार बिजली से जुड़ी रियायतों की सुविधा औद्योगिक क्षेत्रों को दे रही है। उद्योगों को उत्पादन शुरू होने से पांच साल की अवधि के लिए बिजली बिल पर 1/- रुपये प्रति यूनिट की प्रतिपूर्ति की जाती है।

जैव प्रौद्योगिकी नीति के तहत टेक्नाॅलाजी व बायोटिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) से संचालित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं को उन्नतशील बनाया जा रहा है। इसमें नवाचार, विकास, प्लानिंग व व्यावसायिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार का ध्यान मेगा फूड पार्क (एमएफपी) और उनमें स्थापित इकाइयों पर भी है।

- पांच साल के लिए 6 प्रतिशत व्याज सब्सिडी (अधिकतम 4 लाख रुपये तक)।
- जमीन की खरीद पर स्टैप इयूटी में 100 प्रतिशत की छूट और लीज पर संपत्ति लेना।
- खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए सिंचाई बिजली की दर 1.55/यूनिट निर्धारित की गई है।
- पांच वर्ष की अवधि तक कच्चे माल पर मंडी शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट।

एक जिला, दो उत्पाद से मिला स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन



उत्तराखण्ड सरकार ने अक्टूबर 2021 में 'एक जिला, दो उत्पाद' योजना को शुरू किया। इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और हर जिले में निवासियों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोकल फॉर लोकल से राज्य में स्थानीय स्तर पर रोजगार (पैकेजिंग, टैस्टिंग, लॉजिस्टिक्स में) पैदा होगा और निर्यात बढ़ेगा।

प्रधानमंत्री ने पर्यटकों से स्थानीय उत्पादों को खरीदने के लिए कुल खर्च का कम से कम 5 प्रतिशत खर्च करने का आग्रह किया है। एक जिला, दो उत्पाद के तहत हर जिले के लिए विशिष्ट स्थानीय उत्पादों को पहचान कर उसे विकसित किया जाएगा। योजना का उद्देश्य राज्य के पारंपरिक विनिर्माण और शिल्प उद्योग को बढ़ावा देना है और उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। साथ ही, यह हमारे स्थानीय किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों आदि के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। उत्पादों को आधुनिक तकनीक, कोशल और डिजाइन के माध्यम से बाजार की मांग के आधार पर विकसित किया जाएगा।

ह्रीड, बाल मिठाई (अल्मोड़ा); तांबे व कीवी आधारित उत्पाद (बागेश्वर); हथकरघा एवं कार्पेट, गुलाब जल (चमोली); लौह शिल्प उत्पाद, शहव (चंपावत); बेकरी उत्पाद, मशरूम (देहरादून); गुड़ और शहव (हरिद्वार); ऐषण क्राफ्ट, फल प्रसंस्करण (नैनीताल); ऊनी कारपेट, मुनस्वारी राजमा (पिथौरागढ़); चुड़न क्राफ्ट, हर्बल उत्पाद (पौड़ी); मंदिर अनुकूलि हस्तशिल्प, चैलाई आधारित उत्पाद (रूद्रप्रयाग); पनीर, टिहरी नथ (टिहरी गढ़वाल); मेंधा आयुर्वेद, नूँज घास उत्पाद (उधमसिंह नगर); लाल चायल, सेब से बने उत्पाद (उत्तरकाशी)।

उत्तराखण्ड की लॉजिस्टिक नीति-2023 के प्रमुख बिन्दु

पात्र गतिविधियां

- लॉजिस्टिक पार्क, इनलैंड कन्टेनर डिपो, वेयरहाउस, ट्रक टर्मिनल, लॉजिस्टिक वाहन, कोल्ड स्टोरेज आदि।
- इन्फ्रे लॉजिस्टिक या ग्रीन लॉजिस्टिक/ टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास।

वित्तीय प्रोत्साहन

- परियोजना लागत पर 10 से 25 प्रतिशत तक वित्तीय प्रोत्साहन।
- 50 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत पर अधिकतम 08 करोड़ रुपये, 50 करोड़ रुपये से 150 करोड़ रुपये तक के परियोजना लागत पर अधिकतम 24 करोड़ रुपये व 150 करोड़ रुपये से अधिक परियोजना लागत पर अधिकतम 32 करोड़ रुपये तक का अनुदान।
- वेयरहाउसिंग सुविधा के लिए पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 2.50 करोड़ रुपये निवेश के साथ 5000 वर्गफुट क्षेत्रफल और मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम 05 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 10000 वर्गफुट क्षेत्रफल की आवश्यकता।
- ट्रक टर्मिनल के लिए न्यूनतम 5 करोड़ रुपये निवेश के साथ 45,000 वर्गफुट भूमि की आवश्यकता।
- कोल्ड स्टोरेज के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 5000 वर्गफुट।



डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड

राज्य में निवेशकों के लिए बेहतर
आयाम तैयार कर रही प्रदेश सरकार



पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड



नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

देवभूमि में विकास को साकार करती डबल इंजन सरकार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन को आधार बनाते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में, उत्तराखण्ड विकास के नए मानक गढ़ रहा है। राज्य सरकार औद्योगिक विकास को गति देने के लिए एमएमएमई पर विशेष ध्यान देते हुए आगे बढ़ रही है

देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए लोकल विनिर्माण के मंत्र को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निवेश के लिए आधार बनाया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देने की दिशा में उत्तराखण्ड सरकार के 'एमएमएमई-नीति 2015' पर जोर दिया है। यह नीति समावेशी रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसका उद्देश्य स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना है। विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। नीति प्रोत्साहनों के साथ एमएमएमई अन्य सहायताओं के लिए व्यापक पैकेज प्रदान करती है। यह नीति 30 जून, 2023 तक प्रभावी रहेगी। 31 जनवरी, 2015 से पहले स्थापित उद्यम, जो यूनिट विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधीकरण (स्थायी पूंजी निवेश पर 25 प्रतिशत से अधिक के अतिरिक्त के माध्यम से) के दौर से गुजर रही हैं, वह पूंजी निवेश सब्सिडी के लिए भी पात्र होंगे। उन्हें योजना के अधीन ब्याज अनुदान और स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी। राजकोषीय प्रोत्साहन की सीमा तय करने के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है। प्रोत्साहन/सब्सिडी की मात्रा के उद्देश्य से राज्य को पांच श्रेणियों में विभाजित किया गया है।



एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति

श्रेणी ए के लिए तैयार उत्पाद की बी2सी बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन के बाद एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति पहले 5 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत और उसके बाद 90 प्रतिशत है और श्रेणी बी और बी+ के लिए पहले 5 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत और उसके बाद 75 प्रतिशत

श्रेणी ए के लिए भूमि के विक्रय विलेख/पट्टा विलेख के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क की रियायत 100 प्रतिशत है: श्रेणी बी और बी+ के लिए 100 प्रतिशत है: श्रेणी सी 100 प्रतिशत है: और श्रेणी डी के लिए 50 प्रतिशत है

श्रेणी

शामिल क्षेत्र

श्रेणी	शामिल क्षेत्र
श्रेणी ए	पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के पूरे जिले
श्रेणी बी	अल्मोड़ा का पूरा जिला जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल के समस्त पर्वतीय विकासखण्ड (श्रेणी बी+ के तहत क्षेत्रों को छोड़कर) जनपद नैनीताल एवं देहरादून के समस्त पर्वतीय विकास खण्ड। (श्रेणी बी+ के तहत क्षेत्रों को छोड़कर)
*श्रेणी बी+	जिला पौड़ी गढ़वाल के दुगढ़ा विकासखण्ड के कोटद्वार, सिंगडी और आसपास के मैदानी क्षेत्र जिला टिहरी गढ़वाल के फकोट विकासखण्ड के डलवाला, मुनि की रेती, तपोवन एवं आसपास के मैदानी क्षेत्र नैनीताल जिले को कोटायाग विकासखण्ड जनपद देहरादून के कालसी विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र
श्रेणी सी	रायपुर, सहसपुर, विकासनगर और डोईवाला विकासखण्ड में समुद्र तल से 650 मीटर से ऊपर स्थित क्षेत्र देहरादून जिले के ब्लॉक जनपद नैनीताल के रामनगर एवं हल्द्वानी विकासखण्ड
श्रेणी डी	हरिद्वार और उद्यमसिंह नगर के पूरे जिले जनपद देहरादून एवं नैनीताल का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी बी, बी+ एवं सी में शामिल नहीं है)

राजकोषीय प्रोत्साहन और अनुदान

निवेश प्रोत्साहन सहायता (पूंजीगत अनुदान); संयंत्र एवं मशीनरी तथा कारखाने के निर्माण/कार्य पर स्थायी पूंजी निवेश पर सहायता (पूंजीगत अनुदान) स्वीकार्य होगी। श्रेणी-ए के लिए 40 प्रतिशत (अधिकतम 40 लाख रुपये तक); श्रेणी बी और बी+ के लिए 35 प्रतिशत (अधिकतम 35 लाख रुपये तक); श्रेणी सी के लिए 30 प्रतिशत (अधिकतम 30 लाख रुपये तक); और श्रेणी डी के लिए 15 प्रतिशत (अधिकतम 15 लाख रुपये तक)।

*पूंजी निवेश सब्सिडी केवल एक स्रोत से उपलब्ध होगी, जिसमें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित पूंजी निवेश सब्सिडी योजनाओं से मदद मिलेगी।

